न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 52/2017 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

सरूपाराम बनाम बनाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री भाखराराम गोदारा

निर्णय **दिनांक – 01.05.2018**

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प तारातरा मठ में पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए। प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि उसकी खातेदारी का खेत खसरा सं 1242/424 रकबा 16.05 बीघा मौजा तारातरा मठ में आया हुआ है। जिसकी नेखमबन्दी के आदेश जारी किये जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को सुना गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी उपरोक्त खेत खसरा सं 1242/424 रकबा 16.05 बीघा मौजा तारातरा मठ का रेकर्डेड खातेदार हैं। अतः प्रार्थी के उपरोक्त खेत की नेखमबन्दी करना न्यायोचित होगा । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अ. आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा तारातरा मठ, पटवार हल्का तारातरा मठ, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 1242/424 रकबा 16.05 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रूपये 500/– फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है।

कमीश्नर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा तारातरा मठ, पटवार हल्का तारातरा मठ, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 1242/424 रकबा 16.05 बीघा भूमि के पड़ौसी समस्त खातेदारों एवं पक्षकरों को नोटिस तामील कराते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो विधिसम्मत तरीके से मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाने से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प तारातरा मठ में सुनाया गया।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी,चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/571 दिनांक 01/05/18

प्रार्थीगण :-

1.सरूपाराम पुत्र राणाराम जाति सोनी, निवासी तारातरा मठ तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.बनाराम 2.आईदानराम पि.हुकमाराम जाति जाट 3.जुगताराम पुत्र आम्बाराम दर्जी 4.श्रीमती अनेकंवर पत्नि पीरसिंह 5.भंवरसिंह पुत्र पनेसिंह जाति राजपूत 6.सुन्दराराम पुत्र सरदाराराम, राईका 7.श्रीमती नेनकंवर पत्नि पनेसिंह 8.प्रकाश कंवर पत्नि दुर्जनसिंह जाति राजपूत 9.मांगी देवी पत्नि गुमनाराम 10.दीमदेवी पत्नि पेमाराम जाति जाट निवासी तारातरा मठ, तहसील चौहटन

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।</u>

राजस्व आवेदन सं. 52/2017 **दिनांक : 01.05.2018**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र तारातरा मठ के मौजा तारातरा मठ के खेत खसरा सं. 1242/424 रकबा 16.05 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमी की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

मौका कमिशनर को आवश्यकता होने पर सम्बंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है | कमिशनर फीश प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे | नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी, चोहटन

क्रमांक/भू.अ./2018/672 to 675 दिनांक 01/05/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी सरूपाराम
3. विप्रार्थीगण बनाराम वगैरा
3. थानाधिकारी पुलिस थाना चोहटन/बीजराड़/सेड़वा/धौरीमन्ना/बाखासर

उपखण्ड अधिकारी
चोहटन

उपखण्ड अधिकारी चोहटन